Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 8, Issue - 6, June - 2025

DOIs:10.2018/SS/202506020 --:-- Research Paper / Article / Review

सुराजी ग्राम योजना हमर गौठान का अध्ययन

(ग्राम बम्हनी के विशेष संदर्भ में)

[1] ज्योति राजपूत, [2] डॉ. निशा गोस्वामी
[1] पी.एचडी शोधार्थी (समाज कार्य),
[2] मार्गदर्शक, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)
[1]Email - jasrajput107@gmail.com

सारांशः- छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वकांक्षी सुराजी गांव के अंतर्गत नरवा, गरुवा, घुरुवा व बाड़ी का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गौठान में गोबर क्रय करते हुए संग्रहित गोबर से वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार करने हेतु गोधन न्याय योजना का प्रारंभ छत्तीसगढ़ के जिला कबीरधाम के जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के आदर्श ग्राम गौठान, ग्राम पंचायत बम्हनी से छ.ग. के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सुराजी गांव अभियान (योजना) अंतर्गत गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश पहला राज्य हैं, जो गोबर की क्रय कर रहा हैं। वहीं कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के ग्राम पंचायत बम्हनी में गोधन न्याय योजना के द्वारा गोबर क्रय का कार्य दिनांक 01 अप्रैल 2022. दिन शुक्रवार से प्रारंभ किया गया है।

गोधन न्याय योजना से जैविक खेती को बढ़ावा, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नये अवसर, एवं गौ सुरक्षा को प्रोत्साहत के साथ साथ पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना से ग्रामीण कृषक और पशुपालक आत्म निर्भर हुआ हैं। गोधन न्याय योजना से गौवंषीय को मिलेगा सम्माना अब पशुपालन भी आत्मनिर्भरता से रचेंगे नए कीर्तिमाना।

मुख्य शब्द : गोधन न्याय योजना, गौठान समिति, वर्मी टांका, वर्मी कम्पोस्ट, वर्मी बेड ।

1. प्रस्तावना : छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का उद्देश्य राज्य में गाय पालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनकी रक्षा करना और उनके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाता हैं। छत्तीसगढ़ शासन की चार संकेतक नरवा, गरुवा, बाड़ी के माध्यम से राज्य को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबुत करके छत्तीसगढ़ के प्रतीकों को बढ़ाया देने का प्रयास किया गया हैं। इससे किसानों व पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे वे अपना पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण अंचल के परिवार अपना गरीबी दूर कर सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्र में गोधन न्याय योजना का प्रमुख उद्देश्य एकीकृत व्यवस्था के साथ सड़क में घुमने वाले पशुओं के नियंत्रण, खेत एवं बाडियों हेतु उच्य गुणवत्ता के जैविक खाद की उपलब्धता, ग्रामीण एवं शहरी स्वच्छता को सुदृढ करते हुए पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पशुपालन से उत्सर्जित अपशिष्ठ से होने वाली बीमारियों के बचाव हेतु अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपचन किया जाना हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजना में कार्यरत ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों के आर्थिक

एवं सामाजिक उन्नयन हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गोबर का क्रय एवं गोबर से निर्मित गुणवत्ता युक्त वर्मी कम्पोस्ट खाद का विक्रय तथा गौठान समिति को आत्म निर्भर बनाया जाना हैं।

2. छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरुवा, घुरूवा अउ बाड़ी :

ग्राम पंचायत बम्हनी में लगभग 776 पशुधन हैं। ज्यादातर पशुधन छोटे किसान या पशुपालकों के पास हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पशुपालक चारे की व्यवस्था नहीं कर पाते और इन्हें खुले में छोड़ देते हैं। इससे ऐसे किसान जिनके पास सिंचाई के साधन हैं, उन्हें भी दुसरी फसल लेने में कठिनाई आती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य की पुरानी परम्परा रोका छेका को राज्य सरकार की मंशानुसार प्रत्येक वर्ष फसल बोआई के पूर्व ग्राम पंचायत के सरपंच श्री वीरेन्द्र महानायक के नेतृत्व में माह-जून में रोका छेका किया जाता है।

गांव में गौठान समिति व ग्राम पंचायत बम्हनी द्वारा धान की बुआई शुरू होते ही बैठक कर खुले में पशु घराई पर रोक लगाने का निर्णय लिया जाता है। रोका-छेका कार्यक्रम भी गोधन न्याय योजना से जुड़ी हुई हैं। रोका छेका करने से खुले में चरने वाले पशुओं के कारण होने वाली फसल के नुकसान को रोकने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ हैं। गौठानों में छोटे पशुपालकों के घर-घर से, गोबर एकत्र कर उसकी क्रय गौठान प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। इससे गौठानों में जैविक खाद तथा गोबर गैस का निर्माण होता हैं। इनकी बिक्री से गौठानों का आर्थिक मांडल सफल हुई हैं।

कुछ इन्ही उद्देश्यों को लेकर छ.ग. सरकार के सुराजी गांव योजना अंतर्गत गोधन न्याय योजना लाई गई हैं। ज्ञात हो कि हमारी वर्तमान कृषि प्रणाली स्तर पर आ गई हैं। कैसे इसके प्रभाव से हमारा समाज, हमारी प्रकृति और हमारा स्वास्थ्य दूषित होता जा रहा हैं। कैसे हम अपने निजी स्वार्थ के चलते अपनी भावी पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं।

अपने खेतों में बेहिसाब रासायनिक खाद एवं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके हम अपनी धरती अपनी प्रकृति और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। इसलिए हमारी छत्तीसगढ़ के किसानी में रासायनिक पदार्थों का ज्यादा उपयोग न हो, सिर्फ जैविक और प्राकृतिक तरीके से खेती करके धरती को एक बार फिर स्वर्ग बनाने को दिशा में काम कर रही छ.ग. सरकार भारत के अन्य उन्नत राज्यों के समान ही जैविक राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। राज्य सरकार इस दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। और यह मजबूती छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना से मिलेगी।

(गाय) गरूवा किसानों और पशुपालकों के लिए अब गरू (बोझ) नहीं बनेगे। डेयरी के व्यवसाय और गोबर से उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट खाद से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, किसान रासायन मुक्त फसल का उत्पादन करेगा तथा जिससे गांव का पर्यावरण भी सुधरेगा। धरती की गर्मी (तापमान) दिनों दिन वृद्धि हो रहा है, छ.ग. के गोधन न्याय योजना से जैविक खेती के उपयोग से पृथ्वी के तापमान में कमी आयेगा और यदि इस योजना को पूरे विश्व में लागू कर दिया जाय तो पूरे संसार का पर्यावरण सुधरेगा और अगामी महज कुछ वर्षों में गोधन न्याय योजना वरदान साबित होगा। जो हम

छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व साबित होगा, बशर्ते इस योजना का क्रियान्वयत प्रबंधन सुचारू रूप से संचालन ईमानदारी पूर्वक इससे जुड़े लोग करने लगे तो यह वाकई चमत्कार साबित होगा।

पशुपालन के मामले में विश्व में हम नंबर एक पर हैं, फिर भी हमारी कृषि प्रणाली केमिकल प्रोडक्ट पर ही निर्भर हैं। ये हमारा दुर्भाग्य ही हैं, कि हम इनका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहें हैं। अपने आसपास मौजूद प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके हम अपने जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं -

1. मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की क्रियाओं में हरी खाद प्रमुख हैं।
2. इस क्रिया में वानस्पतिक सामग्री को अधिकांशतः हरे दलहनी पौधों को उसी खेत में उगाकर जुताई कर मिट्टी में मिला देते हैं।
3. हरी खाद हेतु मुख्य रुप से लाबिया, उड़द, मुंग इत्यादि फसलों का उपयोग किया जाता है।
4. हरि खाद और जैविक खाद वर्मी कम्पोस्ट खाद से हम अपनी प्रकृति अपने स्वास्थ्य अपनी आने वाली पीढ़ी को एक साफ-सुथरा भविष्य दे सकते है।

प्रकृति जो हम सबकी बड़ी दोस्त है उससे प्राकृतिक तरीके से ही रिश्ता निभाएंगे। हम गोधन न्याय योजना के अंतर्गत बर्मी कम्पोस्ट खाद का कृषक उपयोग कर रसायन मुक्त खेती और रसायन मुक्त खाद्यान का नारा बुलंद करके अपने भविष्य को संवार सकते हैं। गोधन न्याय योजना अंतर्गत हमारे गौवंश तो जैविक खेती के लिए प्रमुख स्रोत हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण देने के लिए महत्व समझना होना। पशुपालकों का पंजीयत का आधार उनके मोबाईल नंबर, आधार, राशनकार्ड, बैंक खाता इत्यादि की पंजीयन आनलाइन किया जाता है प्रतिरोज गोबर खरीदी की गौसेवक समिति के द्वारा गोधक न्याय योजना के मोबाईल एप में किया जाता है। तथा हितग्राहियों (लाभार्थी) को सूची आसानी से एप के माध्यम से जानकारी ली जा सकती है।

3. अध्ययन क्षेत्र की जानकारी :

सुराजी गांव योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्हनी की संक्षिप्त जानकारी छत्तीसगढ़ का जिला कबीरधाम से 40 किलोग्राम दूर प्रसिद्ध नगर से 15 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में ग्राम पंचायत स्थित है। ग्राम पंचायत बम्हनी में नरवा, गरूवा, घुरूवा व बाड़ी अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 से गौधन न्याय योजना से गोबर खरीदी किया जा रहा है।

4. मूलभूत जानकारी निम्नानुसार है। -

1.कुल जनसंख्या 1350	2.महिला संख्या 699	3.पुरुष संख्या 651
4.कुल परिवार 279	5.कुल मतदाता 1039	6.BPL परिवार 105
7.APL परिवार 172	8.अवयस्क सदस्य 428	9.SC परिवार 06

10.ST परिवार 02 11.OBC परिवार 270 12.सामान्य परिवार 42

13.भूमिहीन परिवार 24

14. राशन कार्ड की विवरण योग = 384

14.1 अन्त्योदय कार्ड 31 14.2 निराक्षित कार्ड 03 14.3 अन्नपूर्णा कार्ड 00

14.4 प्राथमिकता कार्ड 289 14.5 निः शक्तजन कार्ड 01 14.6 APLसामान्य कार्ड 60

15. कुल वार्डो की संख्या 11 17.स्व सहायता समूह कुल 15 18. सक्रीय समूह 02

19. कुल तालाब की संख्या 10 20. सामुदायिक शौचालय 06 21. प्राथमिक शाला 01

22. माध्यमिक शाला 01 23. आंगनबाड़ी केन्द्र 02 24. एकलबत्ती कनेक्शन 0

25.पेशन हितग्राही 62

गोधन न्याय योजना एप में स्व-सहायता समूहों का वितरण, उनका बैंक खाता सहित समूह से संबंधित समस्त वितरण किया जाता है। साथ ही पशुपालक वार गोबर खरीदी व भुगतान राशि का वितरण भी प्रविष्टि को जाना जाता है। गौठान में निर्मित वर्मी टांका, वर्मी बेड, कुल उत्पादित वर्मी खाद कुल पैकेजिंग वर्मी खाद, सहकारी समिति को भेजे गए खाद कोड इत्यादि सुविधा होने से गोधन न्याय योजना मे पूर्णरुप से पादर्शिता है। छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिलता है।

5. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक गोधन न्याय योजना के तहत कीये गये कार्यो का विवरण

- गौठान में गोधन न्याय योजना के तहत अबतक 153.44 करोड रूपये से अधिक की गोबर खरीदी।
- 30 हजार से अधिक भूमिहीन परिवारों के अतिरिक्त आय का जरिया बना है।
- गौठानों में सफलतापूर्वक गोबर की खरीदी और आप मुलक गतिविधियो के संचालन से 1634 गौठान स्वांलबी हो चुके है।

इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के महत्वकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना से महिलाओ एंव ग्रामीणो कृषक पशुपालक भूमिहीन सभी वर्गों के आर्थिक विकास सामाजिक विकास हुआ है महिलाओ एवं ग्रामीण के लिए गोधन न्याय योजना वरदान साबित हुआ है। गोधन न्याय योजना छ.ग. में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है, वर्मी कम्पोस्ट खाद का खेतो में उपयोग से खेती धीरे-धीरे रासायन मुक्त होगा जिससे प्रकृति व किसान एंव पर्यावरण में व्यापक सुधार की संभावना निकट भविष्य में होगा।

6. अध्ययन का महत्व :

कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के ग्राम पंचायत बम्हनी में आदर्श गोठान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सुराजी गांव अभियान के अंतर्गत संचालित महत्वकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना ग्राम के पशुपालक किसान, एवं भूमिहीन मजदूरो के योजना से उनके दैनिक जीवन में परिवार के आर्थिक एंव सामाजिक विकास के संदर्भ में इस दृष्टि कोण से गोधन न्याय योजना का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है।

गोधन न्याय योजना से वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की प्रक्रिया में जुड़े महिला स्व सहायता समूह के आर्थिक एंव सामाजिक विकास कितनी हुआ है पूर्व और वर्तमान परिस्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, उनको इस योजना से रोजगार प्राप्त हुआ हैं कि नहीं इस योजना से ग्राम की महिला सशक्तिकरण हुआ है, कि नहीं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है।

गोधन न्याय योजना से सचमुच ग्रामीण क्षेत्रो में पशुधन की सुरक्षा संरक्षण उनके लिये सुखा व हरा चारा का प्रबंधन हुआ है या नहीं एवं क्या पशुओ के खुले में चराई पर रोका छेका हुआ है क्या वहाँ की किसान द्विफसलीय फसल से अपनी आय दुगुनी की है जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार का आकलन हो सके इस क्षेत्र में इसका अध्ययन महत्व हो जाता है। गोधन न्याय योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिला है, क्या इस योजना से पर्यावरण में सुधार हुई है एव भूमि खेती हेतु पहले से उर्वरक क्षमता बढ़ा है कि नहीं इस दृष्टिकोण से अध्ययन बहुत महत्व रखता है।

- पशुपालकों एवं किसान से गोबर की राशि का समय सीमा में भुगतान इत्यादि।
- इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होगें साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाया मिला है।
- इस योजना से सड़को पर आवारा पशुओं की आवाजाही में रोक लगा है। तथा इनका उपयोग कृषि योग्य भूमि में किया गया किसान रबि, खरीब दोनो फसल ले रहे है।
- गाय के गोबर को खाद में बदलकर अतिरिक्त आय की जरिया बना है।
- वर्मी कम्पोस्ट खाद से जैविक खेती को बढ़ावा मिला है।
- ग्राम के किसानो रासायन मुक्त खाद से मुक्ति मिला है, भूमि की उर्वरकता बढ़ा है। पर्यावरण में सुधार हुआ हैं।

7. अध्ययन का उद्देश्य :

जब कोई कार्य किया जाता है,तो उसका कोई उद्देश्य होता है बिना उद्देश्य के कार्य निरथक होता है।वर्तमान में वैश्वीकरण और उदारीकरण से आज विश्व समाज में व्यवसायिक जगत में उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास एवं विस्तार होते जा रहा है, जिसके चलते आम जीवन में भी दैनिक आवश्यकता के स्वरुपों और उसके पूर्व के साधनों में नित नवीनतम का दृष्टि गोचर होता है,स्वाभाविक है जिसके चलते नये आविष्कार एवं खोज की प्रक्रिया व्यापार जगत में भी दिखलायी पड़ती है। इससे नये व्यवसाय का भी जन्म होता है।

इससे नये सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तन भी उत्पन्न होते है, इससे नई प्रकार की सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न होती है, इसको देखते हुए एवं समझते हुए यह कहा जा सकता है, सामाजिक संचरना में जातिगत व्यवसाय के स्वरुपों में भी प्रमाण स्पष्ट रुप से दिखलायी पड़ रहे है। अब व्यवसाय एक निश्चित जाति वर्ग के लोगो के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि यह मान लिया गया है कि उद्यमिता एक सीखा हुआ व्यवहार है, जिससे क्षमता विकास प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त करके सफल बन सकते है।

हमारे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कबीरधाम जिले के विकासखण्ड लोहारा के ग्राम पंचायत बम्हनी में संचालित गोधन न्याय योजना से लाभान्वित पशुपालक, किसान, भूमिहीन एवं स्वं-सहायता समूह के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान का अध्ययन करना तथा महिला एवं किसानों को आत्म निर्भर बनाना है। इस अध्ययन के द्वारा ग्रामीण परिवार में महिलाआंे के स्वं-सहायता समूह का रोजगार प्रदान करके आर्थिक समृद्धि लोन के प्रयासों को सामने लाने का भी कार्य किया जा सकता है।

- वर्मी कम्पोस्ट एवं गोबर से जैविक खाद का उत्पादन को बढ़ावा देना।
- सोनहा खातू के उपयोग से जैविक खेती की प्रोत्साहन दिलाना।
- मवेशी पालन के उचित प्रबंधन ले सड़कों को पशु मुक्त कर दुर्घटना रहित बनाना।
- इस अध्ययन से घुरवा पद्धति से साफ-सफाई एवं स्वच्छता को बढ़ाया देना।
- गौठान एवं कांजी हाउस के द्वारा पालतू मवेशियों को सुरक्षित करना।
- भूमि की उर्वरकता क्षमता में बढ़ोत्तरी व गौपालन और गोबर प्रबंधन से पशुपालकों को होगा लाभ।

8. परिकल्पना- विषय के शोध में मेरी परिकल्पना निम्न है:-

- जरूरत मंद लोगों को गोधन न्याय योजना के कार्यो की स्पष्ट जानकारी हुई होगी।
- गोधन न्याय योजना से जैविक खेती को प्रोत्साहन में हानीकारक रसायन के कमी के स्तर का पता चला ।
- आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने कारण यहाँ के लोग पशुओ के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नही है। जिसके कारण पालतू मवेशियो का स्वास्थ्य स्तर खराब हुआ है। जिसे कम करने के प्रयासों का पता चला ।
- बेरोजगारी व पलायन भी कुपोषण का एक कारण है, जिसे दूर करके कुपोषण स्तर को सुधार किया जा सकता है। जिस हेतु समाधन निकाले ।
- गाय के गोबर का खाद बनाने के प्रति जागरुकता बढ़ी होगी।

9. शोध की प्रविधियां :

यह अध्ययन प्राथमिक आकड़ो पर आधारित हैं। आकड़ो के संकलन के लिए अनुसूची के माध्यम से 34 सदस्यों से जानकारी एकत्रित की गई हैं।

अध्ययन से संबंधित संपूर्ण तथ्यात्मक आंकड़े एवं जानकारी ग्राम पंचायत बम्हनी के कार्य कर रहे महिला स्वसहायता समूहो, पंचायतों में पदस्थ कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों से लिया गया है। स्वीकृत तथा प्राक्कलन व निर्माणाधीन कार्यों से संबंधि जानकारी जनपद पंचायत मनरेगा शाखा, कर्मचारी तथा मनरेगा वेब साईट https://nrega.nic.in/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx से प्राप्त किया गया है।

गोधन न्याय योजना का विषय परिचय-

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्त्वकांक्षी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गाय पालने वाले पशुपालक किसानो से सरकार गाय का गोबर 2 रूपये प्रतिकिलो ग्राम से खरीदेगा। इस योजना के तहत पशुपालक से खरीदे गए गोबर का उपयोग सरकार वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने के लिये करेगी। इस योजना के जरिये छत्तीसगढ़ सरकार गायो के लिये भी कार्य कर रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 से राज्य के लोकप्रिय एवं हिन्दी वर्ष के अनुसार छत्तीसगढ़ परम्परा का पहला त्यौहार हरेली के दिन किया गया। चुकि पर्यावरण को समर्पित यह त्यौहार छत्तीसगढ़ी लोगों के प्रकृति के प्रति एवं समर्पण भाव को दर्शाता है। यह त्यौहार किसानो और पशुपालको द्वारा अपने औजारो की पुजा के साथ शुरु होता है जिसमें किसान खेत व उपकरण जैसे नागा, गैती, कुदाली, रापा, इत्यादि की साफ-सफाई कर पुजा करते है, साथ ही बैलो व गायो पशुधन की भी पुजा की जाती है, इस हिसाब से पशुधन (गायों) की सुरक्षा व संरक्षण की प्रतिज्ञा लेते है। गोबर खरीदी से लेकर उसके विलीय प्रबंधन और वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक प्रक्रिया के निर्धारण के लिये सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव एंव सचिवो की एक कामेटी गठित की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर 13 सदस्यीय गौठान समिति का गठन प्रत्येक गौठानो हेतु किया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जाता है।

इस योजना के माध्यम से गौठानो में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट निर्माण का कार्य महिला एंव सहायता समूहो के द्वारा किया जा रहा है, महिला समूह का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण स्त्रोत के रूप में किया जा रहा है यहाँ विमिति उर्वरक (वर्मी कम्पोस्ट) को किसानो के साथ-साथ अन्य सरकारी विागो में 10-00रु. प्रति किलो ग्राम के दर से बेचा जाता है। अर्थात योजना के माध्यम से तैयार होने वाली वर्मी कम्पोस्ट खाद की बिक्री सहाकारी समितियो के माध्यम से की जायेगी।

इस योजना के तहत पशुधन एंव गौठान समितियो को प्रतिमाह 10000.00रु. विलीय अनुदान प्रदाय किया जाता है, जिससे पशुधन गाय हेतु चारा, पानी शेड का रखरखाव इत्यादि कार्यों में गौठान समिति के बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है।

गोधन न्याय योजना अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी (पशुपालक व किसानो) का गोबर की राशि प्रत्येक माह 15 दिवस के भीतर सीधे उनके बैंक खाता में भुगतान करने का प्रावधान है।

कोविड 19 पलायन की स्थिति नहीं बनी

इस योजना से ग्रामीण परिवार के पशुपालक अपने गोबर को कोरोना काल में पहली व दूसरी लहर में वैश्विक महामारी के संक्रमण बहुत अधिक्ता होने पर भी लॉकडाउन के स्थिति में पशुपालक गोबर विक्रय गोठान समिति को किया जिसका राशि प्रत्येक 15 दिन में उनके खाते में प्राप्त हुआ कोरोना काल में आर्थिक सहायता मिलना भूमिहीन महिला गरीब किसान को रोजगार मिलना उसके घर को चलाने गोधन न्याय योजना की राशि प्राप्त हो जाने से पलायन की स्थितियां नहीं बनी। वाकई ही यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूति प्रदान करता हैं।

गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों का अध्ययन

गौठान योजना

- गोठान योजना का अध्ययन करना।
- गोठान योजना में कार्यरत स्व सहायता समूहो के सदस्यो का आर्थिक अध्ययन करना।

गोधन न्याय योजना

छत्तीसगढ़ के महत्वकांक्षी योजना छठ के अंतर्गत महत्वकांक्षी गोधन न्याय योजना की शुरूआत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हरेली पर्व के दिन 20 जुलाई 2020 से हुई थी। इस योजना के तहत जुलाई 2022 तक 77 लाख क्विटल गोबर की खरीदी हुई जिसका उपयोग वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिये किया गया। वही 31 जनवरी 2024 तक 103.23 लाख गोबर क्विटल की खरीदी राज्य में हुई। योजना के सत्त अनुश्रवण एवं विधिवत्त पोर्टल निर्माण एवं इन्द्राज से पंजीकृत विक्रेताओ की संख्या में वृद्धि हुई हैं वर्ष 2021-22 में 3.12.647 हुई तथा गोबर विक्रेताओं को सीधे लाभ पहुँचा हैं।

सत्त अनुश्रवण एवं गोबर विक्रेताओं की निगरानी से गोठानों में गोबर विक्रेतों की संख्या वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2.93.469 हो चुकी हैं एवं सत्त गोबर की खरीदी हो रही हैं। चालू वर्ष में प्रथम छह माह में 21.81 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी हैं।

गोबर से कम्पोस्ट खाद उत्पादन में महिला समूहो को लाभ

गोठान में महिला समूहों द्वारा 18.61 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 5.37 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से क्रमशः 10 रूपयें, 6 रूपये तथा 6.50 रूपये प्रति किलो की दर पर विक्रय किया जा रहा हैं। महिला समूह गोबर खाद के आलावा गो कास्ट दीया, अगरबत्ती, मूर्तिया एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं।

गोधन न्याय योजना हेतु निष्कर्ष एवं सुझाव -

- गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 15 दिवस के भीतर राशि को सप्ताहिक भुगतान किया जाना चाहिए।
- गौठान समिति के संचालन एवं प्रबंधन हेतु लाभांश की राशि में वृद्धि किया जाए।
- वर्मी बेड निर्माण, पशु विश्राम स्थल के लिए निर्मित शेडो के जगह, पक्का शेड निर्माण हो चुंकि हवा एवं तेज बारिश से पशु विश्राम स्थल क्षतिग्रस्त हो जाने से गौठान समिति को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना होता है. जिससे वर्गीबेड भु वर्मी बेड ये रखे गोबर खराब हो जाते हैं। गौठान समिति को पर्याप्त वित्तीय फंड नहीं होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना होता है।
- स्वं सहायता समूहों को वर्मी कम्पोस्ट से मिलने वाले लाभांश की राशि में वृद्धि किया जाए जिससे महिलाओं के आय में वृद्धि हो सके। महिला आत्मनिर्भर बने।
- वर्मी कम्पोस्ट खाद खरीदी में रुचि किसान और पशुपालक का नहीं हैं। इसमें रुचि हेतु जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए किसानों का प्रोत्साहन करने हेतु सरकार को उचित कदम उठानी चाहिए या कुछ नवाचार किया जाए जिससे वर्मी खाद की उपयोगिता में वृद्धि हो।
- गोबर खरीदी के लिए अतिरिक्त अमला नियुक्त करनी चाहिए जो कि इतनी महंगाई में गौठान समिति निःशुल्क सेवा करने में असमर्थता महसूस किया इसलिए प्रचलित मजदूरी दर पर गोबर खरीदी हेतु नियुक्त नोडल को मानदेय दिया जाना चाहिए जिससे उनको आत्मसंतुष्टी हो कि मुझे गोधन न्याय योजना से रोजगार मिला है।
- गौठान समिति को मिलने वाली मासिक 10000 10रु. की राशि में वृद्धि किया जाना चाहिए चूंकि 400-500 पशुओं के लिए चारा-पानी, हरा चारा, सुखा चारा सहित अन्य आवश्यक चीजों का प्रबंधन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

संदर्भ की सूची :

1. मोजर ली.ए. एवं कालटन , सर्वे मैथेड इन सोशियल इन्वेस्टिगेशन, **पृ-27।**
2. Young P-V- scientific social survey research- Asia Publishing House 1953, **P-242**
3. विलियन जे गुडे एवं पॉल के हांत ESFKSM इन सोशल रिशर्च मैक्रेगो दिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क 1953. **पृ. 133**
4. मनरेगा वेब साईट https://nrega-nic